

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

आदेश

विविध वाद सं० 32/2017-18

अपीलार्थी - विहानो मुण्डाईन

बनाम

उत्तरवादी - सरकार

आदेश की क० सं० एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ												
30.10.25	प्रस्तुत वाद अपीलार्थी विहानो मुण्डाईन, पति- बहुरा मुण्डा ग्राम- सिजांग थाना- पालकोट जिला - गुमला के द्वारा मौजा- सिजांग के खाता सं० 170, प्लॉट 1333, 1379 कुल रकबा 1.12 एकड़ भूमि के संबंध में अपील दायर किया गया। वादगत भूमि का विवरण <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं०</th><th>प्लॉट सं०</th><th>रकबा</th></tr><tr><td rowspan="3">सिजांग</td><td rowspan="3">170</td><td>1333</td><td>0.12 ए०</td></tr><tr><td>1333</td><td>0.50 ए०</td></tr><tr><td>1379</td><td>0.50 ए०</td></tr></table> कुल रकबा 1.12 एकड़ अपीलार्थी के द्वारा दाखिल विविध वाद को सुनवाई हेतु इस वाद को ग्रहण किया गया। अपील आवेदन पर कार्रवाई प्रारम्भ कर अपीलकर्ता को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। अपीलार्थी नोटिस प्राप्त कर अपने प्रधिकृत विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुए। ग्राम- सिजांग थाना-पालकोट जिला-गुमला अंदर खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.12 ए०, प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.50 ए० प्लॉट संख्या 1379 रकबा 0.50 ए० (कुल रकबा 1.12 ए०) जमीन को श्री बाड़ा लाल कन्दर्प नाथ शाहदेव ग्राम+पोस्ट- पालकोट थाना-पालकोट जिला-गुमला के द्वारा बिहार भूदान यज्ञ कमिटी पटना को दिया गया है। ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 1333 रकबा 0.12 ए० चौहदी - उत्तर- प्लॉट 1373 दक्षिण- आन्ध्र मुण्ड पूरब - फिरन लोहरा पश्चिम- आन्ध्र मुण्डा ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 1333 रकबा 0.50 ए० चौहदी - उत्तर- प्लॉट 1989, 1999 दक्षिण- फिरन लोहरा पूरब - फिरन लोहरा पश्चिम- नीज	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	सिजांग	170	1333	0.12 ए०	1333	0.50 ए०	1379	0.50 ए०	
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा											
सिजांग	170	1333	0.12 ए०											
		1333	0.50 ए०											
		1379	0.50 ए०											

ग्राम-सिजांग खाता सं० 170 प्लॉट सं० 1369 रकबा 0.50 ए०

चौहदी - उत्तर- रैयत नीज दक्षिण- जंगल
पूरब - जंगल पश्चिम- सोमरा लोहरा

बिहार भूदान यज्ञ कमिटी के द्वारा खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.12 ए०, प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.50 ए० प्लॉट संख्या 1379 रकबा 0.50 ए० जमीन को ढीढ़ मुण्डा पिता- बिरसा मुण्डा ग्राम- सिजांग थाना-पालकोट जिला- गुमला को दिनांक 24.05.2025 को दिया गया है। ढीढ़ मुण्डा अपने जीवन काल में खेती बारी किए उनके मृत्यु के बाद उनके लड़का लोग बहुरा मुण्डा खेती बारी करते आ रहे हैं। लेकिन अज्ञानता के कारण जमीन का दाखिल खारिज हेतु आवेदन अंचल अधिकारी पालकोट में नहीं दिया गया। काफी दिन हो जाने के कारण दाखिल खारिज हेतु हुजूर से आदेश लेना जरूरी है।

अतः श्रीमान् से अनुरोध है कि बहुरा मुण्डा आवेदन को मंजूर करते हुए अंचल अधिकारी पालकोट को उचित जाँच पड़ताल कर दाखिल खारिज हेतु ओदश दिया जाए।

बिहार भूदान यज्ञ कमिटी पटना सन् 27.12.1984 भूदान पत्र।

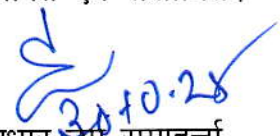
निष्कर्ष

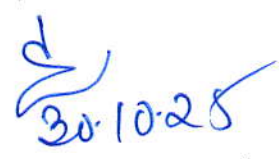
उपर्युक्त तथ्यों एवं अपीलार्थी के दाखिल दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा- सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.12 ए०, प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.50 ए० प्लॉट संख्या 1379 रकबा 0.50 ए० जमीन प्रथम पक्ष कई सालों से खेती करते आ रहे हैं। विहानो मुण्डाई भूदान यज्ञ कमिटी कार्यालय, राँची के द्वारा जमीन अंतर्गत ग्राम-सिजांग खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.12 ए०, प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.50 ए० प्लॉट संख्या 1379 रकबा 0.50 ए० कुल रकबा 1.12 ए० जमीन प्राप्त हुआ है। प्रथम पक्ष को जमीन मालिक बड़ा लाल कंदर्प नाथ शाहदेव के द्वारा भूदान यज्ञ कमिटी को दिया गया था।

अंचल अधिकारी, पालकोट के जांच प्रतिवेदन में विहानो मुण्डाईन बनाम सरकार ग्राम-सिजांग, अम्बाटोली थाना-पालकोट, मौजा-सिजांग, खाता संख्या 170 प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.12 ए०, प्लॉट संख्या 1333 रकबा 0.50 ए० प्लॉट संख्या 1379 रकबा 0.50 ए० किस्म जमीन जंगल झाड़ी है जो कि पंजी ii में दर्ज नहीं है। उक्त जमीन G.M खास/ Deem Forest के नाम पर खतियान में दर्ज है। पूर्व में वादी के नाम पर बंदोबस्ती एवं पंजी ii में कायम नहीं है साथ ही अपीलार्थी इस वाद में अभिरुचि नहीं ले रहे हैं।

अतः अपीलार्थी द्वारा दाखिल विविद वाद को अस्वीकृत किया जाता है। इस आदेश के प्रति अंचल अधिकारी, पालकोट को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।


भूमि सुधार उप समाहर्ता
बसिया(गुमला)।